राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(8)कार्मिक/क–2/08 पार्ट जयपुर, दिनांकः 13/08/2021

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला कलेक्टर।

परिपत्र

विषयः– राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण– जाति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु अनुदेश।

इस विभाग की अधिसूचना संख्या 7(8)कार्मिक/क–2/2008, दिनांक 25.08.2009 के कॉलम संख्या 3 में अन्य पिछड़े वर्ग एवं विशेष पिछडे वर्ग (वर्तमान में अति पिछडा वर्ग) के उन वर्गो को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनकों आरक्षण का लाभ देय नही (क्रीमीलेयर) है। कार्मिक (क–5) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.05.1999 द्वारा अपवर्जन के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार के समकक्ष ग्रुप–I एवं ग्रुप–II स्तर के कार्मिकों के मापदण्ड पॉचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप निर्धारित किये गये थे। (प्रति संलग्न)

राज्य सरकार द्वारा सातवे वेतन आयोग को सिफारिशों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान 2017 लागू किये जाने के उपरान्त अपवर्जन के प्रयोजनार्थ पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 01.05.1999 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अतिक्रमण में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर के निर्धारण के उद्देश्य के लिए भारत सरकार में वर्ग I एवं वर्ग II के समकक्ष राज्य में अधिकारियों के स्तर निर्धारित किये जाने हेतु संशोधित मापदण्ड निम्न प्रकार निर्धारित किये जाते हैः–

	पॉचवे वेतनमान के अनुसार वर्गीकरण	छठे वेतनमान के अनुसार वर्गीकरण	सातवे वेतनमान के पश्चात वर्गीकरण
वर्ग I	वेतनमान संख्या 13 (8000–13500) से 22 (18400–22400)	पे–बेण्ड 9300–34800 में ग्रेड–पे 5400 (ग्रेड पे नं. 15) से पे–बेण्ड 37400–67000 में ग्रेड–पे 10000 (ग्रेड पे नं. 24)	पे मेट्रिक्स में पे लेवल 13 से पे लेवल 24
वर्ग II	वेतनमान संख्या 11 (5500–9000) से 12 ए (7500–12000)	पे–बेण्ड 9300–34800 में ग्रेड–पे 4200 (ग्रेड पे नं. 12) से ग्रेड–पे 4800 (ग्रेड पे नं. 14)	पे मेट्रिक्स में पे लेवल 11 से पे लेवल 12

अतः इस संबंध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले समस्त सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिसूचना दिनांक 25.08.2009 द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं वर्ग I तथा वर्ग II के वेतनमान के संदर्भ में उपर्युक्त संशोधित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण कर कार्यवाही की जाये।

12/8/21

(हेमन्त गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।

क्रमशः...(2)

3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

(34/2021)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5) विभाग

क्रमांक प. 9(26)कार्मिक/क-5/95 जयपुर, दिनांक

परिपत्र

विषय-राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण- जाति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु अनुदेश।

इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 9(8)कार्मिक/क-5/90 दिनांक 28.9.93 के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम तीन में अन्य पिछड़े वर्ग के उन व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। उक्त उपाबद्ध अनुसूची के बिन्दु संख्या-II में राजकीय सेवाओं में कार्यरत वर्ग-1 एवं वर्ग-2 स्तर के अधिकारियों पर लागू होने वाले अपवर्जन के नियम वर्णित हैं। इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 15.4.96 द्वारा अपवर्जन के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार के समकक्ष ग्रुप-1 व ग्रुप-2 स्तर के अधिकारियों के मापदण्ड निर्धारित किये गये थे।

राज्य सरकार द्वारा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान 1998 लागू किये जाने के उपरान्त अपवर्जन के प्रयोजनार्थ पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 15.4.96 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार के समकक्ष वर्ग-1 एवं वर्ग-2 स्तर के अधिकारियों के संशोधित मापदण्ड निम्न प्रकार किये जाते हैं:-

	वर्तमान वर्गीकरण	संशोधित वेतनमान के पश्चात् वर्गीकरण
वर्ग-1	वेतनमान संख्या 16 (2200-4000) से (5900-6700)	वेतनमान संख्या 13 (8000-13500) से 22 (18400 - 22400)
वर्ग-II	वेतनमान संख्या 13 (1640-2900) से 15 (2000-3500)	वेतनमान संख्या 11 (5500-9000) से 12 ए (7500 - 12000)

अतः इस सम्बन्ध में समस्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि अन्य पिछड़े वर्ग के होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों को उपरोक्त निर्धारित संशोधित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में परीक्षण किया जाकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

(सुधीर भार्गव)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल / मुख्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. विशि0 सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राज0 जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, (जिला कलेक्टरों सहित)।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. निबन्धक, राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. निबन्धक, राज0 सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

शासन उप सचिव

कैलाश
30.4.1999.